क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश

कार्यक्रम का नामः जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): Drug & Consumables (जन्म से एक वर्ष तक के शिशु की दवाईयों एवं अन्य समाग्रियों का क्रय)

बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (अनुलग्नक–2 के आधार पर): A.2.10.1

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण :
"जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम" Janani Sishu Suraksha Karyakaram(JSSK) के अंतर्गत राज्य के सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव के लिए आने वाली सभी गर्भवती माताओं एवं बीमार शिशुओं को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराया जाना है । इस बजट शीर्ष में बीमार शिशुओं के उपचार हेतु आवश्यक दवाओं एवं अन्य सामग्रियाँ के क्रय हेतु राशि आवंटित की गयी है ।

इकाई राशि (रू० में) :100/–रूपये प्रति शिशु (संस्थागत प्रसव जन्में बच्चों के लिये राशि आवंटित) ।

वित्तीय दिशा निर्देश : उक्त प्रयोजनार्थ भारत सरकार के द्वारा शिशुओं हेतु आवश्यक सभी दवाओं/सामग्रियों की सूची राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के स्तर से सभी जिलों को उपलब्ध करायी गयी है । इसके लिए वित्तीय वर्ष 2014–15 में निःशुल्क दवाओं हेतु आवश्यक बजट का प्रावधान इस एफ एम आर कोड में किया गया है। सभी जिला स्वास्थ्य समिति को इस एफ एम आर कोड के अंतर्गत 100/– प्रति बीमार शिशु राशि आवंटित किया गया है ।
दवाईयों का क्रयः बीमार शिशुओं के लिये आवश्यक दवाईयों का क्रय जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा बिहार सरकार, स्वास्थ्य विभाग/राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के दिशा निर्देशानुसार किया जाना है ।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)
(क) बिहार सरकार का संकल्प– ज्ञापांक 12/प०–विविध–08–23/11 698 (12), दिनांकः 21.08.2012

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का नाम : डा0 बी0के0मिश्र–राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी/श्री गौरव कुमार–उपनिदेशक मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी का फोन नं० :7759860705/ 9431005972

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

विषयः- Janani Sishu Suraksha Karyakaram (JSSK) "जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम" के अन्तर्गत राज्य के सभी गर्भवती माताओं एवं बीमार नवजात शिशुओं को निःशुल्क सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में ।

1. "जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम" Janani Sishu Suraksha Karyakaram (JSSK) राज्य के सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों पर आए सभी गर्भवती माताओं एवं बीमार नवजात शिशुओं की निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएँ हेतु पहल है । इस पहल के अन्तर्गत सभी गर्भवती महिलाओं तथा जन्म से 30 दिनों के भीतर तक बीमार नवजात शिशुओं के लिए निम्नलिखित स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध करायी जानी है :-

गर्भवती महिलाओं के लिए -

(i) निःशुल्क प्रसव ;

(ii) निःशुल्क जटिल प्रसव ;

(iii) निःशुल्क डायग्नॉसिस (रक्त, यूरीन जाँच, अल्ट्रासोनोग्राफी एवं अन्य सभी प्रकार के आवश्यक जाँच) ;

(iv) ठहरने के दौरान निःशुल्क भोजन-सामान्य प्रसव हेतु तीन दिनों तक एवं सिजेरियन सेक्शन हेतु सात दिनों तक ;

(v) निःशुल्क औषधि ;

(vi) निःशुल्क रक्त का प्रावधान ;

(vii) रेफरल केसों में घर से सरकारी स्वास्थ्य संस्थान तक एवं वापस घर तक छोड़ने तक निःशुल्क यातायात सुविधा, रोगी वाहन का नामकरण "जय प्रभा जननी शिशु आरोग्य एक्सप्रेस" होगा ;

(viii) उपयोगकर्ता शुल्क (User charges) की छूट ;

जन्म से 30 दिनों के भीतर तक बीमार नवजात शिशुओं के लिए -

(i) निःशुल्क डायग्नॉसिस (रक्त, यूरीन जाँच, अल्ट्रासोनोग्राफी एवं अन्य सभी प्रकार के आवश्यक जाँच) ;

(ii) रेफरल केसों में घर से सरकारी स्वास्थ्य संस्थान तक एवं वापस घर तक छोड़ने तक निःशुल्क यातायात सुविधा "रोगी वाहन का नामकरण" जय प्रभा जननी शिशु आरोग्य एक्सप्रेस" होगा ;

(iii) निःशुल्क रक्त का प्रावधान ;

(iv) निःशुल्क उपचार ;

(v) निःशुल्क औषधि ;

(vi) उपयोगकर्ता शुल्क (User charges) की छूट ;

64

2. वर्तमान में इस मामले में उपयोगकर्ता शुल्क (User charges) सेवा को छोड़ शेष सभी स्वास्थ्य सुविधाएँ राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दी जा रही हैं । **उपयोगकर्ता शुल्क** (User charges) **(गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु)** के क्रम में सरकार के संकल्प 424(प0क0) दिनांक 17.05.06 की कंडिका 6 में प्रावधान किया गया है कि गरीबी रेखा के नीचे के रहने वाले व्यक्तियों एवं उनके परिवार के सदस्यों को निम्नांकित निबंधन शुल्क से छूट दिया गया है :-

(क) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र - 1 रूपया (सिर्फ एक बार)

(ख) अनुमंडल /सदर अस्पताल- 2 रूपया (सिर्फ एक बार)

(ग) मेडिकल कॉलेज अस्पताल - 5 रूपया (सिर्फ एक बार)

3. उक्त प्रावधान को संशोधित कर अब यह छूट, गरीबी रेखा के नीचे के रहने वाले व्यक्तियों एवं उनके परिवार के सदस्यों के साथ-साथ अन्य सभी गर्भवती महिलाओं तथा बीमार नवजात शिशुओं को देने का निर्णय लिया गया है ।

4. उपरोक्त कंडिका-2 में प्रस्तावित सुविधा प्रदान हेतु अनुमानित 22.41 लाख रूपया का वित्तीय बोझ राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा (परिशिष्ट-1 सलंग्न) ।

आदेशः-आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी हेतु उपर्युक्त संकल्प की पांच सौ प्रतियां बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित की जाए तथा विभाग को उपलब्ध करायी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

21/8/12

(बिमला प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-12/प0-विविध-08-23/11 698(13)/पटना, दिनांक - 21-8-12

प्रतिलिपि-अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित । निदेश है कि इस संकल्प की पांच सौ प्रतियां विभाग को उपलब्ध करायी जाय ।

21/8/12

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-12/प0-विविध-08-23/11-698(12)/पटना, दिनांक -21-8-12
प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
प्रतिलिपि-संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

21/8/12
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-12/प0-विविध-08-23/11-698(12)/पटना, दिनांक -21-8-12
प्रतिलिपि-मुख्यमंत्री सचिवालय/मुख्य सचिव के सचिव/विकास आयुक्त के सचिव/ मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के आयुक्त के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

21/8/12
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-12/प0-विविध-08-23/11-698(12)/पटना, दिनांक - 21-8-12
प्रतिलिपि-मंत्री स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि-प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि-सरकार के सभी विभाग/स्वास्थ्य विभाग के सभी पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/सभी जिला उप विकास आयुक्त/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना/सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं /सभी असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

21/8/12
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-12/प0-विविध-08-23/11-698(12)/पटना, दिनांक - 21-8-12
प्रतिलिपि- अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग/संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

21/8/12
सरकार के संयुक्त सचिव